UAE-INDIA
CEPA COUNCIL

यूएई-भारत व्यापार संबंधों का विस्तार

यूएई और बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए अवसर

विषय सूची

भूमिका 4

कृषि के क्षेत्र में बिहार की क्षमता 4

यूएई में कृषि उत्पादों की मांग 5

सीईपीए- बिहार के कृषि निर्यात के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम 8

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कृषि निर्यातकों के लिए आकर्षक अवसर 10

कानूनी और नियामकीय व्यवस्था 12

खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) - भारत सहयोग 15

अवसर एवं रणनीतिक अनुशंसाएं 17

यह शोध रिपोर्ट, भारत के बिहार राज्य से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को किए जाने वाले कृषि निर्यात की क्षमताओं व संभावनाओं का विवरण प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में, वर्तमान बाजार मांग; कानूनी आवश्यकताओं; नए कृषि उत्पादों के निर्यात से जुड़े अवसरों तथा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) सहयोग के नए अवसर बनाने में किस प्रकार मदद कर रहा है, आदि पर चर्चा की गई है।

यह रिपोर्ट यूएई बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए अवसरों को अधिकतम करने के लिए रणनीतिक सिफारिशें प्रदान करती है। यूएई-भारत सीईपीए में, यूएई के साथ बढ़ते हुए व्यापार और निवेश के माध्यम से बिहार की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है। प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के अलावा, बिहार के कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग से राज्य में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने और व्यवसायों को समर्थन देने में भी सहायता मिलेगी।

भूमिका

यूएई-भारत सीईपीए, एक दशक से अधिक समय में भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया पहला व्यापार समझौता था। यह समझौता 1 मई, 2022 को लागू हुआ था।

यूएई-भारत सीईपीए का उद्देश्य विभिन्न शुल्कों (टैरिफ) और व्यापार संबंधी अन्य बाधाओं को कम या समाप्त करके भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोलना, भारतीय कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाना है। एक प्रमुख वैश्विक व्यापारिक केंद्र के रूप में, संयुक्त अरब अमीरात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय कृषि उत्पादों के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम कर सकता है और निवेश एवं अन्य सहयोगी अवसरों को बढ़ाने के प्रयासों को समर्थन प्रदान कर सकता है।

कृषि के क्षेत्र में बिहार की क्षमता

कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस राज्य की 76 प्रतिशत आबादी कृषि संबंधी गतिविधियों में संलग्न है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक और आठवां सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है। बिहार में उगाये जाने वाले प्रमुख कृषि उत्पादों में चावल, धान, गेहूं, जूट, मक्का, विभिन्न तिलहन, गन्ना, आलू, जौ, फूलगोभी, पत्तागोभी, टमाटर, मूली, गाजर, लीची, मखाना (फॉक्स नट्स), अमरूद और भिंडी शामिल हैं।

यह राज्य पहले से ही लीची, बासमती चावल और हिम मटर (स्नो पीज) जैसी वस्तुओं का कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात कर रहा है और उसे कई अन्य कृषि उत्पादों के मामले में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल है।

बिहार की कृषि उत्पादन संबंधी स्थिरता विपणन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि भारत में फॉक्स नट, जिसे आम तौर पर 'मखाना' के नाम से जाना जाता है, का 85 प्रतिशत से अधिक उत्पादन बिहार में होता है। प्रोटीन व फाइबर से भरपूर और कम वसा वाला होने के कारण स्वास्थ्य दृष्टि से मखाने के कई लाभ हैं। संयुक्त अरब अमीरात को मखाने के निर्यात की संभावनाओं का दोहन अभी भी बाकी है। मखाने के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता के साथ, आने वाले वर्षों में इसकी मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। संयुक्त अरब अमीरात की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए बिहार की समकक्ष संस्थाओं के साथ मिलकर मखाने के निर्यात के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। मखाने के उत्पादन एवं प्रसंस्करण संबंधी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त निवेश की भी अपार संभावनाएं हैं।

यूएई में कृषि उत्पादों की मांग

यूएई कृषि निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण अवसरों से युक्त एक सशक्त और वैश्विक बाजार है। यूएई की आबादी जैविक भोजन सहित विविध खाद्य उत्पादों को अपना रही है। यूएई भारत के कृषि और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। जैसा चित्र-1 में दर्शाया गया है, यूएई भारत के प्रसंस्कृत खाद्य बाजार के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य देश है।

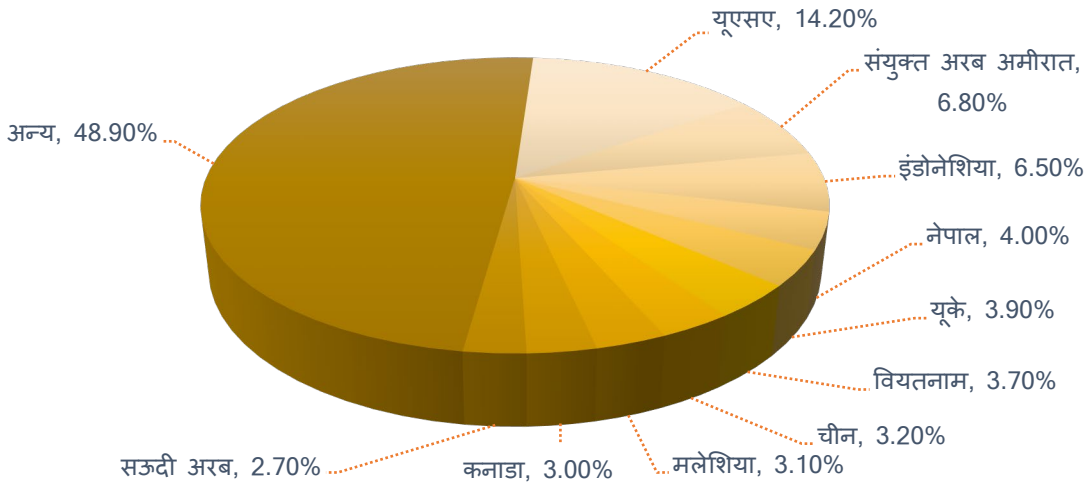

चित्र 1: 2020-21 के लिए भारत के प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात गंतव्य

स्रोत: एक्जिम बैंक (2021), एपीडा के आंकड़ों पर आधारित

अपनी जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, यूएई अपने भोजन उपभोग का 85 प्रतिशत आयात करता है। वर्ष 2021-22 में, यूएई के लिए भारत से कृषि और संबद्ध वस्तुओं का कुल निर्यात 2.62 अमेरिकी बिलियन डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत अधिक है। प्रमुख निर्यात वस्तुओं में चीनी, बासमती चावल, मसाले, समुद्री उत्पाद और ताजे फल शामिल हैं, जैसा तालिका-1 में दिखाया गया है। इसके अलावा, यूएई डेयरी उत्पादों (1.58 अमेरिकी बिलियन डॉलर), फलों (1.18 अमेरिकी बिलियन डॉलर) और अनाज (1.02 अमेरिकी बिलियन डॉलर) का एक बड़ा वैश्विक बाजार है। मौसम आधारित और सांस्कृतिक कारक भी भोजन की मांग को प्रभावित करते हैं, रमज़ान जैसे धार्मिक अवसरों के दौरान खपत बढ़ जाती है।

तालिका 1: भारत का शीर्ष कृषि और संबद्ध निर्यात

क्र.सं.	कृषि उत्पाद	2020-21	2021-22	वृद्धि (प्रतिशत)
1.	चीनी	119.71	288.21	140.75
2.	बासमती चावल	203.59	221.31	8.71

3.	मसाले	189.95	218.62	15.10
4.	ताजे फल	125.11	147.54	17.93
5.	विविध व प्रसंस्कृत वस्तुएं	83.47	145.64	74.49
6.	गेहूं	51.00	136.62	167.86
7.	काजू	98.55	131.46	33.39
8.	भैंस - मांस	89.46	118.95	32.96

स्रोत: **वाणिज्य विभाग, भारत सरकार (मूल्य, अमेरिकी डॉलर में)**

बढ़ती आबादी और खपत की बढ़ती जरूरतों के साथ, यूएई में बिहार के कृषि उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार बनने की क्षमता है। यूएई बाजार गतिशील है और उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारतीय निर्यातकों के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करता है।

यूएई में 200 से अधिक राष्ट्रीयताओं के लोग निवास करते हैं, जिनमें भारतीय प्रवासी समुदाय सबसे बड़ा है। इस कारण, देश में भारतीय कृषि उत्पादों की बहुत मांग है, जिससे यूएई बिहार के निर्यातकों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बाजार के रूप में उभरा है। बिहार के निर्यातक इस जनसांख्यिकीय लाभ का फायदा उठाकर यूएई में रहने वाले भारतीयों की रुचि और प्राथमिकताओं को पूरा कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक बड़ा उपभोक्ता आधार प्राप्त हो सकता है।

सीईपीए- बिहार के कृषि निर्यात के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम

यूएई-भारत सीईपीए बिहार से कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। यूएई-भारत सीईपीए 1 मई 2022 को लागू होने के बाद से यूएई और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परिणामस्वरूप, प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ यूएई और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सीईपीए के कार्यान्वयन के बाद इस अवधि में फलों और सब्जियों से जुड़े उत्पादों के निर्यात में लगभग 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ, प्रमुख भारतीय निर्यात क्षेत्रों को काफी फायदा मिला है।

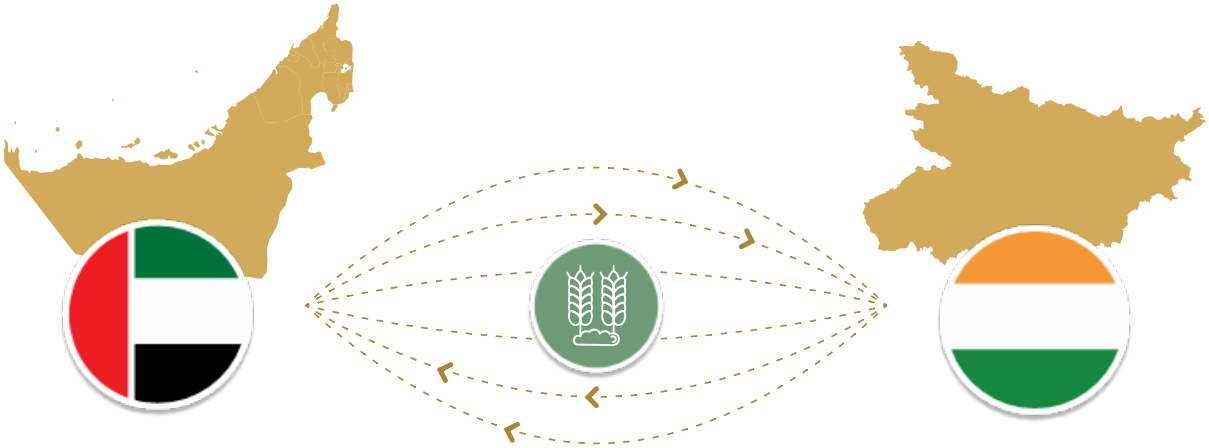

सीईपीए के तहत, यूएई 97 प्रतिशत टैरिफ लाइनों (कुल 7,581 टैरिफ लाइनों) पर टैरिफ खत्म कर देगा, जिनकी मूल्य के लिहाज से यूएई को होने वाले भारतीय निर्यात में 99 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसमें 80.3 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर टैरिफ को तत्काल खत्म किया जाना शामिल है। सीईपीए से 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के भारतीय उत्पादों को समर्थन मिलेगा, जिन पर पहले पांच प्रतिशत आयात शुल्क लगता था।

यूएई-भारत सीईपीए टैरिफ में कटौती और सुव्यवस्थित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के माध्यम से बिहार के कृषि निर्यातकों के लिए ज्यादा बाजार पहुंच सुनिश्चित करेगा। राज्य पहले से ही यूएई को लीची, बासमती चावल और हिम मटर निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त, यह मक्का, चावल और केले, आम, प्याज, टमाटर, आलू और बैंगन जैसे फलों और सब्जियों के लिहाज से भी प्रतिस्पर्धी है। ये सभी यूएई की विशिष्ट टैरिफ प्रतिबद्धताओं की अनुसूची में शामिल हैं और उन्हें देश में टैरिफ-मुक्त प्रवेश की अनुमति है।

यूएई के बाजार तक पहुंच के अलावा, बिहार के निर्यातक यूएई की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में भूमिका का भी लाभ उठा सकते हैं। यह लाभप्रद स्थिति, व्यापार के अनुकूल माहौल और व्यापार समझौतों के व्यापक नेटवर्क के साथ मिलकर, बिहार के निर्यातकों के लिए अपने उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की तलाश करने के लिए आकर्षक अवसर प्रस्तुत करती है। यूएई के कुछ विशिष्ट लाभों में शामिल हैं:

- **रणनीतिक अवस्थिति:** पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित, यूएई असाधारण भौगोलिक निकटता का अवसर पेश करता है। दुबई से आठ घंटे की उड़ान से दुनिया की 80 प्रतिशत आबादी तक पहुंचा जा सकता है। इस दृष्टि से, यूएई एक विशाल उपभोक्ता आधार तक कुशल लॉजिस्टिक्स और त्वरित पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।

- **बुनियादी ढांचागत क्षमता**: यूएई ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है। दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह जेबेल अली पोर्ट इस प्रतिबद्धता का उदाहरण है। कंटेनरों से लेकर ऑटोमोबाइल तक, विभिन्न प्रकार के कार्गो को संभालने में इसकी बहुमुखी क्षमता, लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं को कम करते हुए और प्रतिस्पर्धी लागत को बनाए रखते हुए पूरे क्षेत्र में माल की सुचारु और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करती है।

- **सुव्यवस्थित कारोबारी माहौल:** यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार किया है। 40 से ज्यादा मुक्त व्यापार क्षेत्र तमाम कर लाभ और सुव्यवस्थित नियम प्रदान करते हैं, जिससे कंपनियों के लिए परिचालन संबंधी बोझ में काफी कमी आती है। कई विश्वस्तरीय वित्तीय केंद्रों की मौजूदगी से पूंजी तक पहुंच आसान होती है और निवेश के अवसर बढ़ते हैं। कम से कम नौकरशाही संबंधी बाधाएं कारोबार स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज बनाती हैं और परिचालन को सुव्यवस्थित करती हैं, जिससे कंपनियों का बहुमूल्य समय और संसाधन बचते हैं।

- **खुले बाजार तक पहुंच:** यूएई सक्रिय रूप से 70 से अधिक व्यापार समझौतों के एक मजबूत नेटवर्क के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार को आगे बढ़ाता है। ये व्यापार समझौते पहले ही हो चुके हैं या इन पर बातचीत जारी है। ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (जीएएफटीए), यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (ईएफटीए) और सिंगापुर-यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एसयूएफटीए) जैसे समझौते कई देशों के साथ व्यापार बाधाओं को खत्म करते हैं या कम करते हैं। यूएई ने इंडोनेशिया, तुर्की और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों की एक श्रृंखला पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारतीय व्यवसायों को बिना किसी शुल्क के यूएई से दूसरे बाजारों में फिर से निर्यात (री-एक्सपोर्ट) करने का लाभ मिलेगा।

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कृषि निर्यातकों के लिए आकर्षक अवसर

भारत मार्ट

अगस्त 2022 में घोषित महत्वाकांक्षी "भारत मार्ट" प्रोजेक्ट को लेकर सोच कुछ ऐसी रही कि ये संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रहे भारतीय उद्यमों के लिए एक बहुआयामी मंच बनेगा। 2025 तक शुरू होने जा रहा भारत मार्ट वैश्विक स्तर पर एक खासा महत्वपूर्ण वितरण केंद्र होगा जो दुनिया भर में भारतीय उत्पादों के निर्यात में मदद करेगा, निर्यातकों को रीटेल शोरूम, गोदामों, कार्यालयों और अन्य सहायता सेवाओं की पेशकश करेगा।

इससे अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में अपने परिचालनों का विस्तार करने की योजना बना रही भारतीय कंपनियों को विशेष रूप में लाभ होगा। इससे इन देशों और क्षेत्रों में माल के शिपमेंट से जुड़े समय और लागत में कमी आएगी। दुबई में जेबेल अली फ्री जोन (जेएएफजेडए) में

स्थित भारत मार्ट को इस शहर द्वारा मुहैया कराए गए रणनीतिक भौगोलिक लाभों से फायदा होगा और भारतीय निर्यातकों को 3.5 बिलियन उपभोक्ताओं के बाजार तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थित होने के चलते इसे कर-मुक्त, शुल्क-मुक्त और जोखिम-मुक्त वाणिज्यिक वातावरण देकर भी सहयोग किया जाएगा।

अबू धाबी फूड हब

खलीफा इकोनॉमिक जोन अबू धाबी (केईजेडएडी) में रणनीतिक रूप से स्थित "अबू धाबी फूड हब" सभी खाद्य श्रेणियों में थोक व्यापार और लॉजिस्टिक्स की सुविधा के लिए वन-स्टॉप सुविधा वाला एकीकृत इकोसिस्टम है।

ये भविष्य में केंद्रित एक आपूर्ति श्रृंखला प्लेटफॉर्म है और यूएई के खाद्य सुरक्षा एजेंडे का अभिन्न अंग है। पहले से चालू अबू धाबी फूड हब इस क्षेत्र में खाद्य वस्तुओं के व्यापार के लिए सबसे बड़ा एकीकृत इकोसिस्टम बनने की योजना बना रहा है। व्यापारियों, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं, मूल्य वर्धित सेवा प्रदाताओं, सरकारी समर्थकों और निजी वाणिज्यिक सेवा प्रदाताओं से युक्त ये केंद्र फल और सब्जियां, मांस और पोल्ट्री, समुद्री भोजन, डेयरी, सूखे खाद्य पदार्थ, सूखी वस्तुओं सहित विभिन्न खाद्य उत्पाद, फूल और स्वादिष्ट उत्पाद मुहैया कराएगा।

अबू धाबी फूड हब एक खासा महत्वाकांक्षी उद्यम है जो इस क्षेत्र में खाद्य व्यापार को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा, ये फूड हब अबू धाबी सरकार द्वारा समर्थित है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए व्यापार को लुभावना और सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और सहायता सेवाएं प्रदान करेगा।

कानूनी और नियामकीय व्यवस्था

यूएई में आयात विनियम

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कृषि उत्पादों का आयात करने के इच्छुक निर्यातकों के लिए कई सरकारी निकायों द्वारा संचालित किए जाने वाले नियम-कायदों के मौजूदा परिदृश्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। संघीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा और आयात नियमों की देख-रेख करने वाली जो मुख्य एजेंसियां हैं वे जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय, और उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैं। ये मंत्रालय देश के भीतर खाद्य उत्पादों से संबंधित कानूनों और मानकों का संचालन करते हैं।

وزارة التغير المناخي والبيئة
MINISTRY OF CLIMATE CHANGE & ENVIRONMENT

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
MINISTRY OF INDUSTRY & ADVANCED TECHNOLOGY

इसके अलावा, अन्य संघीय एजेंसियां जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय और खाद्य एवं जल सुरक्षा राज्य मंत्रालय भी विशिष्ट नियम-कायदों को सटीक स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय स्तर पर प्रत्येक अमीरात के अंतर्गत स्थित नगरपालिकाएं इन संघीय नियमों को लागू करके यह सुनिश्चित करती हैं कि आयातित खाद्य पदार्थ के साथ-साथ देश में उत्पादित खाद्य पदार्थ भी यूएई के खाद्य सुरक्षा कानूनों का अनुपालन करें। इन नियमों को समझना और उनका पालन करना बिहार के उन निर्यातकों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो संयुक्त अरब अमीरात के बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश करना चाहते हैं। यहां पर खाद्य पदार्थों के आयातकों के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

1. **पंजीकरण और लाइसेंसिंग**
    - वर्ष 2018 में यूएई ने 'खाद्य पदार्थों की अधिकृत मान्यता और पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय योजना' शुरू की जिसने खाद्य पदार्थों के पंजीकरण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल 'जेडएडी' की शुरुआत की।
      पोर्टल के लिए लिंक: https://zad.gov.ae/Account/Login

- ‘जेडएडी’ वास्तव में यूएई की संघीय सरकार की एक प्रणाली है जिसका उपयोग यूएई के सभी सातों अमीरात (अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजैराह, रास अल खैमाह, शारजाह और उम्म अल क्वैन) में से कहीं भी पहुंचाए जाने वाले उत्पादों को पंजीकृत करने के लिए किया जा सकता है। यह प्रणाली यूएई में बिक्री से पहले समस्त खाद्य पदार्थों का पंजीकरण करती है और संबंधित उत्पाद द्वारा देश के खाद्य कानूनों का अनुपालन किए जाने की पुष्टि करती है।

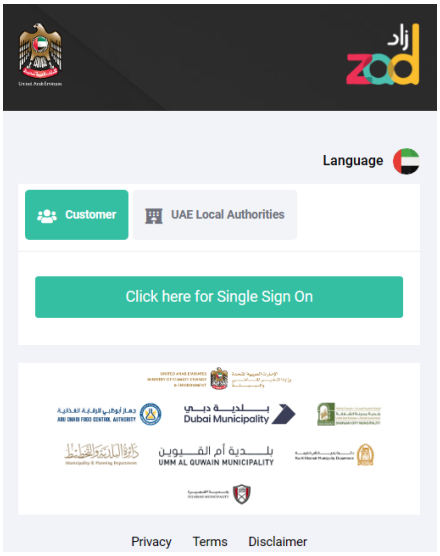

- पंजीकरण प्रक्रिया के तहत निर्यातकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और संबंधित उत्पाद के लेबल, पैकेजिंग, और मूल देश के सक्षम प्राधिकारण से प्राप्त आधिकारिक प्रमाण पत्र की एक प्रति देनी होगी, ताकि उस उत्पाद से जुड़े स्वास्थ्य या पोषण संबंधी दावों की पुष्टि की जा सके।
- **उत्पाद का पंजीकरण**

  यूएई में आयात करने से पहले समस्त खाद्य उत्पादों का पंजीकरण संबंधित नगरपालिका में अवश्य ही हो जाना चाहिए।

2. खाद्य उत्पादों का वर्गीकरण और बारकोड

यूएई में आयातित प्रत्येक खाद्य उत्पाद को पंजीकरण और वर्गीकरण प्रणाली में पंजीकरण प्रक्रिया से अवश्य ही गुजरना होगा जो प्रत्येक आइटम या खाद्य उत्पाद को एक विशिष्ट बारकोड प्रदान करती है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का संचालन यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पोर्टल के लिए लिंक यह है:

https://mohap.gov.ae/en/services/classification-of-a-product.

यह प्रणाली दरअसल यह सुनिश्चित करती है कि समस्त खाद्य उत्पाद यूएई के बाजार में प्रवेश करने से पहले आवश्यक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को अवश्य ही पूरा करें।

3. लेबलिंग संबंधी आवश्यकताएं

लेबल केवल अरबी या अरबी/अंग्रेजी में ही होने चाहिए। उपयोग से पहले समस्त स्टिकर को यूएई के अधिकारियों द्वारा अवश्य ही अनुमोदित किया जाना चाहिए और लेबल आकलन प्रक्रिया के दौरान इसे शामिल किया जाना चाहिए। अरबी में लेबल या स्टिकर के लिए ये न्यूनतम जानकारियां अत्यंत आवश्यक हैं:

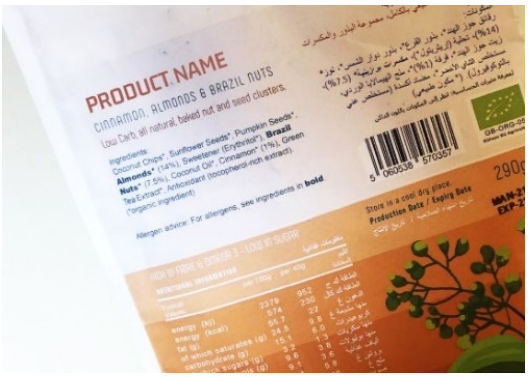

- उत्पाद का नाम
- खाद्य उत्पाद में मौजूद सामग्री
- उत्पाद का मूल देश
- स्टोरेज की स्थिति (यदि लागू हो)
- उपयोग के लिए निर्देश (यदि लागू हो)
- पोषण संबंधी जानकारी (यदि लागू हो)

'एक्सपायरी डेट' का प्रारूप दिन-तिथि/माह/वर्ष के क्रम में सेट किया जाता है। जिन उत्पादों की 'शेल्फ लाइफ' तीन माह से अधिक होती है, उन्हें उपर्युक्त प्रारूप से छूट दी जा सकती है (यानी केवल माह और वर्ष लिखा जाता है)

4. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रमाणपत्र

- **हलाल प्रमाणपत्र**: पशुओं से प्राप्त खाद्य उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणपत्र अत्यंत आवश्यक है।

HB-002 HB-002

- **स्वास्थ्य प्रमाणपत्र**: मूल देश की संबंधित सरकारी संस्था द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अत्यंत अनिवार्य है जिसमें यह बताया गया हो कि खाद्य उत्पाद मानव द्वारा उपभोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।

5. **दस्तावेज**

इनवॉइस, निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए फाइटोसैनिटरी या पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र, पैकिंग की सूची, सीमा शुल्क घोषणापत्र की प्रतियों, लदान या डिलीवरी प्राधिकरण के बिल, और मूल देश के प्रमाण पत्र सहित व्यापक दस्तावेज सभी शिपमेंट के साथ अवश्य ही संलग्न होने चाहिए।

6. **सीमा शुल्क विभाग की मंजूरी**

- **प्रवेश के लिए सही बंदरगाह:** विदेशी माल के प्रवेश के लिए सही बंदरगाह की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि विभिन्न बंदरगाहों की क्षमताएं और आवश्यकताएं अलग-अलग हो सकती हैं।
- **आसान क्लीयरेंस**: यूएई की सीमा शुल्क प्रक्रियाओं से अच्छी तरह वाकिफ किसी स्थानीय क्लीयरिंग एजेंट से संपर्क करने से माल की आसान और त्वरित क्लीयरेंस संभव हो सकती है।
- इन आवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझ कर और उनका पालन करके बिहार या भारत के किसी भी अन्य क्षेत्र के निर्यातक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके खाद्य उत्पाद और कृषि उत्पाद यूएई के स्थानीय नियमों का अनुपालन करते हुए वहां के बाजार में अवश्य ही पहुंचेंगे।

खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)- भारत सहयोग

हालिया वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। साल 2018 में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रणनीति- 2051' प्रकाशित की थी, जो वैश्विक खाद्य व्यापार को सुविधाजनक बनाने, खाद्य आयात स्रोतों में विविधता लाने और वैकल्पिक आपूर्ति योजनाओं की पहचान करने पर केंद्रित है। भारत, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश होने के कारण संयुक्त अरब अमीरात की खाद्य सुरक्षा योजनाओं में एक जरूरी भागीदार है।

संयुक्त अरब अमीरात- भारत खाद्य सुरक्षा साझेदारी कृषि और खाद्य बुनियादी ढांचे में सहयोग व निवेश के माध्यम से दोनों राष्ट्रों के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस साझेदारी में विभिन्न परियोजनाएं और समझौते शामिल हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख हैं:

1. **खाद्य सुरक्षा गलियारा:** संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने 18 फरवरी, 2022 को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अधीन खाद्य सुरक्षा गलियारे के विकास को लेकर 700 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। खाद्य सुरक्षा गलियारे का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक सहज व कुशल संबंध बनाना है। यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की परिकल्पना करता है, जहां कृषि उपज सीधे भारतीय खेतों से संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाहों तक पहुंचती है, बिचौलियों को कम करती है और ताजा व उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करती है। यह गलियारा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कृषि उत्पादों के व्यापार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे दोनों देशों के किसानों और व्यवसायों को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा गलियारे में विभिन्न घटक शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - **लॉजिस्टिक्स संबंधी अवसंरचना:** कृषि उत्पादों की कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए गोदामों, शीत भंडारण सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क का विकास।
    - **डिजिटल प्लेटफार्म:** डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय किसानों को सीधे संयुक्त अरब अमीरात के खरीदारों से जोड़ेंगे, जिससे उन्हें पारदर्शी लेन-देन और उचित मूल्य की सुविधा प्राप्त होगी।
    - **गुणवत्ता आश्वासन:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं, सुदृढ़ गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र स्थापित किया जाएगा।
2. **वित्तीय सहायता:** वित्तीय संस्थान गलियारे के तहत आने वाले किसानों और कृषि व्यवसायों को ऋण व निवेश के अवसर प्रदान करेंगे।
3. **फूड पार्क में निवेश**: संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में फूड पार्क विकसित करने के लिए 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर का बड़ा निवेश करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। फूड पार्क विशेष औद्योगिक क्षेत्र है, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सहायता देने के लिए परिकल्पित किया गया है। वे प्रसंस्करण इकाइयों, शीत भंडारण, गोदाम, परीक्षण प्रयोगशालाओं और लॉजिस्टिक्स सहायता सहित बुनियादी ढांचे व सेवाएं प्रदान करेंगे। ये फूड पार्क भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आधुनिक बनाने में सहायता

करेंगे, जिससे यह अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बन जाएगा। इसके अलावा उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करके, फूड पार्क संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों में भारतीय कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात को सक्षम करेंगे। पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर खाद्य पार्कों की योजना बनाई जा रही है, जिन्हें कृषि उत्पादों की उपलब्धता और बाजारों से निकटता के आधार पर रणनीतिक रूप से चुना गया है। ये पार्क फलों, सब्जियों, डेयरी, अनाज और मांस सहित विभिन्न उत्पादों के प्रसंस्करण पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे।

अवसर एवं रणनीतिक अनुशंसाएं

- **कृषि क्षेत्र में विस्तृत सहयोग:** बिहार के निर्यातकों और संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनियों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। एक साथ काम करने से बिहार के निर्यातकों के लिए बाजार में प्रवेश की सुविधा मिल सकती है और वहां के स्थानीय बाजार के बारे में अधिक जानकारी भी मिल सकती है।
- **लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन**: आपसी सहयोग और साझेदारी के माध्यम से, शीघ्र खराब होने वाली मदों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला और अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सकता है।
- **जैविक खेती:** बिहार जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग का लाभ उठा सकता है। बिहार सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के किनारे के जिलों में जैविक गलियारा बनाया है। स्वास्थ्य और स्थिरता के प्रति वैश्विक रुझानों का पालन करते हुए, ऐसे जैविक कृषि उत्पाद संयुक्त अरब अमीरात के बाजार में बिहार के निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करेंगे।
- **संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम**: जैविक खेती, फसल विज्ञान, कीट प्रबंधन, कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण, कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करने से यूएई और बिहार दोनों की ही आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार हो सकते हैं।
- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश**: संयुक्त अरब अमीरात के निवेशक संयुक्त अरब अमीरात-भारत खाद्य सुरक्षा गलियारे के एक हिस्से के रूप में बिहार में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर सहयोग कर सकते हैं, जिससे कच्चे कृषि उत्पादों

के मूल्य में भी वृद्धि होगी। इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने के साथ ही इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आएगी।

- **एग्रीओटा:** संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र, दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर ने भारतीय किसानों को यूएई में खाद्य कंपनियों से जोड़ने के लिए एक कृषि-व्यापार और वस्तुएं (कमोडिटी) प्लेटफॉर्म, एग्रीओटा जारी (लॉन्च) किया। इस प्लेटफॉर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि बिहार के किसान इसका अधिकतम लाभ उठा सकें।

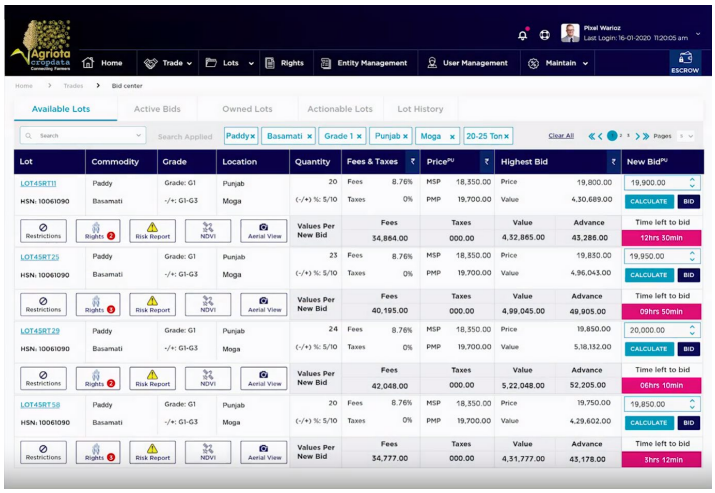

UAE-INDIA
CEPA COUNCIL

@cepacouncil

@cepacouncil

@uae-india-cepa-council